

सेन्चुरी / वन्य जीव बिहार हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सुलतानपुर में यूपीडा द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल क्षेत्रफल 11.3172 हे० (आरक्षित वन भूमि - 7.0549 एवं संरक्षित वन भूमि-4.2623 हे०) के गैर वानिकी प्रयोग हेतु परियोजना में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार प्रभावित नहीं है।

५५
(के०सी०बी०जे०पी०)
प्रमाणित करने वाला अधिकारी,
सामाजिक वन प्रभाग,
सुलतानपुर।